समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
—: आदेश :—

सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या–10000, दिनांक 10.07.2015 के आलोक में दिनांक 30.03.2016 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में कार्यालय का ज्ञापांक–233–2/स्था0, मधेपुरा दिनांक–30.03.2016. द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री रमेश चन्द्र यादव, अमीन, अंचल कार्यालय, उदाकिशुनगंज जो दिनांक–31.03..2016 के अपराह्न में सेवानिवृत हो रहे हैं, को उसी पद पर दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लिये अथवा उसी पद पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर निम्न शर्त्तों के अधीन नियोजित किया जाता है:–

क्र0	सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का नाम पदनाम एवं कार्यालय का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन अवधि	नियोजित कार्यालय	नियोजित पद	पेंशन योजना
1	श्री रमेश चन्द्र यादव, अमीन, अंचल कार्यालय, उदाकिशुनगंज	31.03.2016	01.04.2016 से 31.03.2018 (दो वर्षों के लिए)	अंचल कार्यालय, उदाकिशुनगंज	सेवानिवृत्त अमीन	जी0पी0एफ0 योजना अधीन(शर्त–08)

शर्त्तें :–

(1) यह नियोजन विल्कुल ही अस्थायी है।
(2) यह नियोजन संविदा आधारित है।
(3) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों के अनुरूप अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र देय होगा।
(4) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक के अनुरूप किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
(5) संविदा के आधार पर निय़ोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा नहीं बनेगा।
(6) यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई विस्तार नहीं हो पाता है तो आपका नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
(7) संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।

(8) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवक (जी0पी0एफ0योजना अधीन) का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन एवं सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि एवं सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा परन्तु पेंशन पर महगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उस सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

(9) मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियों इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
(10) सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
(11) नियोजित कर्मी के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी। समीक्षोपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।

ह0/
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 342-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 31-03-2016.

प्रतिलिपिः– श्री रमेश चन्द्र यादव, अमीन, अंचल कार्यालय, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।